8

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का रामुदी बनाम किशनलाल

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 भू.रा. अधि.

प्रकरण संख्या :- 61/RA/18

निर्णय दिनांक :- 14/01/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रामुदी की आ.ख.न. 810 कुल रकबा 0.31 किस्म जमीन गैरमुमकिन रास्ता में से 0.01 रकबे पर श्री किशनलाल S/o किरोडी कुम्हार ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर भूसा डालकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का रामुदी द्वारा दिनांक .... को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय वाईस. भू.अ.निरी. खेरलीरेल के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी किशनलाल S/o किरोडी जाति कुम्हार निवासी रामुदी को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 810 रकबा 0.31 में से 0.01 रकबे किस्म गैरमुमकिन रास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा नॉनरेस्पोडेन्ट को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 2 पैसे का 50 गुणा 1.00 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु डीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी रामुदी भू.अ.निरी. खेरली रेल को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)

प्रतिलिपि :- प. इं.

अ. न. 4 क. क्रमांक 80 ... 3
सं 2018-19 ... ... 1/-
... की गई

तहसील ... लेखाकार
तहसील कठूमर